

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/400

दिनांक:- 09/09/25

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिन न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	10152	राजा राम मीणा, सलेअ-II	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, दौसा-22361	नगरीय विकास विभाग, दौसा-बांदीकुई	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा के आदेश क्रमांक 3032-40 दिनांक 17.06.2025 अनुमोदित
2	10081	आशीष कुमार शर्मा, सलेअ-II	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, दौसा-19755	उप निदेशक, अभियोजन, दौसा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा के आदेश क्रमांक 10513-26 दिनांक 01.08.2025 अनुमोदित
3	13036	विकास त्रिपाठी, सलेअ-II	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, ब्यावर-096	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, ब्यावर	सलेअ-II के रिक्त पद का
4	10741	छाया मेहरीवाला, सलेअ-II	कोषाधिकारी, (1102) कोष एवं लेखा विभाग, चूरू	अधिशोषी अभियंता खण्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एक्स काडर), चूरू-8001368	श्रीमति पूनम ईसरान, सलेअ-II के चाईल्ड केयर लीव से लौटने तक

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक:- 09/09/25

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/400

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II), कार्यालय हाजा।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री/श्रीमतीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत करावें।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)